न्यायालय विशेष न्यायाधीश (सर्तकता गढ़वाल परिक्षेत्र)/सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, देहरादून।

प्रकीर्ण वाद संख्या– 483 सन् 2023

गोपाल सिंह बनाम खेमेन्द्र गंगवार आदि

गोपाल सिंह पुत्र स्व0 राम शाह, निवासी– 345, जगजीतपुर देवपुरा, थाना कनखल, जिला हरिद्वार।

...प्रार्थी।

बनाम

1. खेमेन्द्र गंगवार (सब–इस्पेक्टर), तत्कालीन तैनाती– चौकी इंचार्ज, पुलिस चौकी, जगजीतपुर, थाना– कनखल, जिला हरिद्वार। हाल तैनाती– पुलिस कोतवाली, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

2. हेम लता (सब–इस्पेक्टर), तत्कालीन तैनाती– पुलिस चौकी, जगजीतपुर, थाना– कनखल, जिला हरिद्वार।

3. पूनम सोरियाल (कॉस्टेबल), तत्कालीन तैनाती– पुलिस चौकी, जगजीतपुर, थाना– कनखल, जिला हरिद्वार।

4. बलवंत (कॉस्टेबल), तत्कालीन तैनाती– थाना– कनखल, जिला हरिद्वार।

5. पप्पू कश्यप (हेड–कॉस्टेबल), तत्कालीन तैनाती– पुलिस चौकी, जगजीतपुर, थाना– कनखल, जिला हरिद्वार।

6. विरेन्द्र (कॉस्टेबल), तत्कालीन तैनाती– पुलिस चौकी, जगजीतपुर, थाना– कनखल, जिला हरिद्वार।

7. विजिलेंस देहरादून, द्वारा पुलिस अधीक्षक, विजिलेंस, देहरादून।

...विपक्षीगण।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता– श्री पंकज जोशी।

<u>दिनांक– 11.01.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी गोपाल सिंह की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज जोशी उपस्थित है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दं0प्र0सं0 थाना विजिलेंस, देहरादून को विपक्षीगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित करने के लिये दिया गया है। इस संबंध में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

2. संक्षिप्त में, प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अमन व पंकज पुत्र शिव कुमार निवासी–

जगजीतपुर, जिला हरिद्वार द्वारा प्रार्थी से रसीद दिनांकित 09.09.2023 के माध्यम से मु0 70,000/– रूपये उधार लिये थे। प्रार्थी द्वारा यह राशि उक्त अमन व पंकज को द्वारा चैक व नकद प्रदान की गई थी। प्रार्थी द्वारा उक्त अमन एवं पंकज से अपनी उधार दी गई राशि को नियत समयावधि पूर्ण होने के उपरांत वापिस मांगने पर साफ इंकार कर दिया गया तथा धमकी दी जाने लगी, कि यदि तुमने आईंदा हमसे अपनी उधार दी गई राशि को वापिस मांगने पर उक्त दोनों अमन एवं पंकज द्वारा झूठे बलात्कार के मामले में बंद करवाने की धमकी दी जाने लगी लगी जिस पर प्रार्थी द्वारा इस संबंध में थाना– कनखल व पुलिस चौकी जगजीत, थाना– कनखल, जिला– हरिद्वार के समक्ष प्रार्थना पत्र दिये, परन्तु कोई कार्यवाही ना होने पर प्रार्थी द्वारा इस संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, देहरादून, को इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को प्रेषित किये गये प्रार्थना पत्र से क्षुब्ध होकर उक्त अमन एवं पंकज ने प्रार्थी को धमकी दी कि अब हम तुझे सबक सिखायेंगे। चूंकि उक्त अमन, पंकज एवं उनकी बहन/सपना की थाना कनखल, हरिद्वार में पैठ थी, जिसके चलते इन्होंने उक्त सपना द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध थाना कनखल में धारा 376 आई०पी०सी० की झूठी प्राथमिकी दर्ज करवा दी। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत विपक्षी संख्या 1, 2 व 4 द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध सपना द्वारा दर्ज प्राथमिकी में अन्तिम रिपोर्ट लगवाने के लिये अवैध रूप से 5 लाख रूपये देने की मांग की जाने लगी। इस पर प्रार्थी द्वारा उक्त विपक्षीगण से यह कहा जाता रहा कि मेरे केस की ईमानदारी से जांच करो, क्योंकि मैंने ऐसी कोई घटना घटित नहीं करी है, तथा मेरे द्वारा अपने रूपये मांगने पर उक्त अमन एवं पंकज द्वारा अपनी बहन सपना को मोहरा बनाकर मेरे विरुद्ध उक्त प्राथमिकी दर्ज करवाई है, ताकि उनको मेरा उधार लिया गया पैसा वापिस ना करना पडे। विपक्षी संख्या 4/ बलवंत ने दिनांक 12.12.2021 में कई बार फोन करके प्रार्थी को जगजीतपुर पेट्रोल पंप पर बुलवाया, उक्त फोन की रिकार्डिंग प्रार्थी के पास है जिसे प्रार्थी ने पत्रावली में दाखिल किया है जिस पर दिनांक 12.12.2021 को दोपहर बाद, उक्त बलवंत/विपक्षी संख्या 4 के कहने पर प्रार्थी उक्त पेट्रोल पंप पर पहुंचा, जहां पर विपक्षी संख्या 1 2, 3, 4, 5, व 6 क्रमशः खेमेंन्द्र गंगवार, हेम लता, पूनम सोरियाल, बलवंत, पप्पू, व विरेन्द्र मिले, जहां पर इन सभी विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को उसके उक्त दर्ज किये गये बलात्कार का केस खत्म करने हेतु पांच लाख रूपये देने की मांग करी, जिस पर प्रार्थी ने कहा कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते है कि मेरे खिलाफ उक्त मुकदमा झूठा किया गया है, लिहाजा आप मेरे मुकदमे की ठीक से जांच करें, तो सारी सच्चाई सामने आ जायेगी, कि मैं बेकसूर हूं, तथा मेरे विरूद्ध झूठा केस दर्ज करवाया गया है। जिस पर विपक्षी संख्या 1, 2 व 4 ने प्रार्थी से कहा, कि तू हमारी बात मान ले, तथा जल्दी से जल्दी से पैसों का इंतजाम कर। प्रार्थी के द्वारा तत्काल मांग की जा रही धनराशि देने में अपनी असमर्थता बताने पर समस्त विपक्षीगण प्रार्थी को प्राईवेट गाडी जो बलवंत लेकर आया था, में डालकर समय सांय पांच बजे के आसपास थाना– कनखल ले गये, तथा प्रार्थी को थाने के लॉक–अप में बंद कर दिया। प्रार्थी के थाना– कनखल पहुंचने पर

पीछे–पीछे प्रार्थी की पत्नी व पुत्र थाना कनखल पहुंच गये। थाने पहुंचने पर विपक्षी संख्या 1/खेमेन्द्र गंगवार ने प्रार्थी को कहा, कि ''आज इस थाने का इंचार्ज मैं हूं, तथा थाने में आज वही होगा, जो मैं चाहूंगा, क्योंकि थाना इंचार्ज का तबादला हो गया है, इसलिये तू अपने दोस्त/मुन्ना शर्मा को फोन करके पैसे मंगवा'', यह कहते हुऐ उक्त खेमेन्द्र गंगवार ने लॉकअप में अपना मोबाईल फोन प्रार्थी को देते हुए कहा, कि तू अभी के अभी मुन्ना को फोन करके थाने बुलवा। जिस पर प्रार्थी ने उक्त मुन्ना को फोन करके थाना आने के लिये कहा, मुन्ना को फोन करने पर उक्त मुन्ना ने कहा, कि अभी तो तो मैं बाहर गया हुआ हूं, कल आऊँगा। दिनांक 13.12.2021 को विपक्षी 6/विरेन्द्र अपने साथ एक होमगार्ड को लेकर 12:55 बजे जिला चिकित्सालय/जी०डी० हॉस्पिटल, हरिद्वार लेकर पहुंचे और प्रार्थी का मेडिकल करवाया गया, जिसमें प्रार्थी के कोई ताजी चोट दर्शित नहीं है। प्रार्थी का मेडिकल करवाने के उपरांत विपक्षी संख्या 1 से 6 ने एक साजिश के तहत प्रार्थी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, अपितु वापिस थाना कनखल लेकर पहुंचे। जहां पर विपक्षी संख्या 1 से 6 ने प्रार्थी को थाने के अंदर बने कम्प्यूटर वाले कमरे के पीछे स्थित कमरे में बंद कर दिया और फिर सभी ने प्रार्थी के हाथ पैर बांधकर/पकड़ कर, लाढी, फट्टा व बेल्ट से बूरे ढंग से मारा, जब प्रार्थी ने कहा कि मैं न्यायालय पहुंचकर न्यायलय से कहूंगा कि आप सब ने मुझे मारा है तो इस पर विपक्षी संख्या 1/खेमेंन्द्र गंगवार ने हाथ में अपनी पिस्टल पकड़ते हुए कहा, कि यदि इस बारे में तूने कोर्ट से कुछ भी कहा, तो जब तूझे हम कोर्ट से जेल में दाखिल करने के लिये लेकर जायेंगे, तो रास्ते में तेरी हत्या कर देंगे, जिस पर प्रार्थी भयभीत हो गया तथा अपने न्यायालय के समय रिमांड के दौरान हुई घटना की जानकारी कोर्ट को डर के मारे नहीं दे पाया। जेल पहुंचने के उपरांत अगले दिन, दिनांक 14.12.2021 मेडिकल हुआ जिसमें प्रार्थी के शरीर में कुल 7 चोंटे पाई गई। यह सभी चोंटे प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1 से 6 क्रमशः खेमेन्द्र गंगवार, हेमलता, पूनम सोरियाल, बलवंत, पप्पू व विरेन्द्र द्वारा उनकी अवैध मांग को पूरा ना करने के कारण, की गई मार–पिटाई के चलते आई हैं। प्रार्थी द्वारा जमानत पर जेल से निकलने के पश्चात् आर०टी०आई के तहत अपनी दोनों मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करी। प्रार्थी द्वारा अपने साथ हुई उक्त जादतियों के संबंध में दिनांक 13.03.2023 को थाना– कनखल में प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 22.03.2023 को इस संबध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। विपक्षी संख्या 4/बलवंत एवं एक अन्य व्यक्ति जो विपक्षी संख्या 1 का ही खास आदमी था, के द्वारा प्रार्थी से जो दिनांक 11.12.2021 व 12.12.2021 को प्रार्थी की गिरफ्तारी से पूर्व, प्रार्थी से जो अवैध रूप से/धन प्रदान करने की जो मांग की गई थी, उसकी प्रार्थी ने मोबाईल फोन में रिकार्डिंग कर ली थी, जिसे प्रार्थी ने पूर्णतः उसी प्रकार से पेन ड्राईव में संकलित किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करी गई है, तथा साथ ही साथ प्रार्थी ने अपने उस मोबाईल फोन में गई रिकार्डिंग को भी मूल रूप में सुरक्षित रखा हुआ है, जिसे मांगने पर संबधित एंजेन्सी को प्रार्थी प्रदान करेगा। प्रार्थी ने इस संबंध में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

हरिद्वार के न्यायालय के समक्ष प्रक्रीर्ण वाद संख्या– 12/2023 अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रीया संहिता योजित किया, जिसमें संबंधित न्यायालय ने आदेश पारित किया, कि ''रिश्वत मांगना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अपराध है, जिसके लिये विशेष न्यायालय गठित किये हैं, तथा यह न्यायालय इन मामलों में संज्ञान नहीं ले सकता है, उपरोक्त से न्यायालय इस निष्कर्ष का है, कि प्रस्तुत मामले में धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रीया संहिता के अन्तर्गत अन्वेषण का आदेश पारित करने की अधिकारिकता इस न्यायालय को नहीं है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रीया संहिता, निस्तारित किया जाता है, प्रार्थी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है''। इसके पश्चात् प्रार्थी ने दिनांक 01.06.2023 को विपक्षी संख्या 7/पुलिस अधीक्षक विजिलेंस देहरादून, उत्तराखंड को रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जो प्राप्त हुआ, परन्तु प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। प्रार्थी के साथ जो उपरोक्त उल्लेखित अपराध, विपक्षी संख्या 1 से 6 द्वारा घटित किया गया है, वह संज्ञेय अपराध है। न्यायहित में विपक्षी संख्या 1 से 6 क्रमशः खेमेन्द्र गंगवार, हेमलता, पूनम सोरियाल, बलवंत, पप्पू व विरेन्द्र के विरूद्ध अभियोग/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी आवश्यक है। अतः विपक्षीगण 1 से 6 क्रमशः खेमेन्द्र गंगवार, हेमलता, पूनम सोरियाल, बलवंत, पप्पू, व विरेन्द्र द्वारा प्रार्थी/गोपाल सिंह के साथ कारित किये गये उपरोक्त अपराध के संबंध में विपक्षी संख्या 7/पुलिस अधीक्षक विजिलेंस, देहरादून से रिपोर्ट मंगवाकर, प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

3. प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाने से आख्या तलब की गयी। थाना सतर्कता सेक्टर, देहरादून से प्राप्त आख्या इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री गोपाल सिंह पुत्र स्व0 राम शाह, निवासी– 345, जगजीतपुर, देवपुरा, थाना कनखल, जिला हरिद्वार से संबंधित प्रार्थना पत्र कार्यालय सतर्कता अधिष्ठान, सेक्टर, देहरादून को प्राप्त नहीं हुआ है।

4. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में विपक्षीगण की कॉल रिकार्डिग की पेनड्राईव, गोपाल सिंह का मेडिकल दिनांकित 13.12.2021 की सत्यप्रति, गोपाल सिंह का जेल में हुआ मेडिकल, गोपाल सिंह द्वारा थाना कनखल, हरिद्वार को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांकित 13.03.2023, गोपाल सिंह द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वारा को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.03.2023, डाकघर की रसीद दिनांकित 22.03.2023, गोपाल सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक, विजिलेंस, देहरादून को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांकित 01.06.2023, डाकघर की रसीद दिनांकित 02.06.2023, गोपाल सिंह द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हरिद्वार के समक्ष प्रेषित प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दं0प्र0सं0 की सत्यप्रति, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.05.2023 की सत्यप्रति, पुलिस द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित 18.04.2023 की सत्यप्रति, प्रार्थी के आधार कार्ड की प्रति एवं प्रार्थी का शपथ पत्र पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है।

5. मेरे द्वारा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

6. पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि प्रार्थी से अमन व पंकज पुत्र शिव कुमार निवासी– जगजीतपुर, जिला हरिद्वार द्वारा मु0 70,000/– रूपये उधार लिये थे। प्रार्थी द्वारा यह राशि उक्त अमन व पंकज को द्वारा चैक व नकद प्रदान की गई थी। प्रार्थी द्वारा उक्त अमन एवं पंकज से अपनी उधार दी गई राशि को नियत समयावधि पूर्ण होने के उपरांत वापिस मांगने पर साफ इंकार कर दिया गया तथा धमकी दी जाने लगी, कि यदि तुमने आईंदा हमसे अपनी उधार दी गई राशि को वापिस मांगने पर उक्त दोनों अमन एवं पंकज द्वारा झूठे बलात्कार के मामले में बंद करवाने की धमकी दी जाने लगी लगी जिस पर प्रार्थी द्वारा इस संबंध में थाना– कनखल व पुलिस चौकी जगजीत, थाना– कनखल, जिला– हरिद्वार के समक्ष प्रार्थना पत्र दिये, परन्तु कोई कार्यवाही ना होने पर प्रार्थी द्वारा इस संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, देहरादून, को इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को प्रेषित किये गये प्रार्थना पत्र से क्षुब्ध होकर उक्त अमन एवं पंकज ने प्रार्थी को धमकी दी कि अब हम तुझे सबक सिखायेंगे। चूंकि उक्त अमन, पंकज एवं उनकी बहन/सपना की थाना कनखल, हरिद्वार में पैठ थी, जिसके चलते इन्होंने उक्त सपना द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध थाना कनखल में धारा 376 आई०पी०सी० की झूठी प्राथमिकी दर्ज करवा दी। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत विपक्षी संख्या 1 ता 6 द्वारा प्रार्थी से बलात्कार का केस खत्म करने हेतु पांच लाख रूपये देने की मांग की गयी।

7. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी संख्या 01 ता 06 जोकि पुलिस चौकी, जगजीतपुर, थाना कनखल, जिला हरिद्वार में तैनात थे, के द्वारा प्रार्थी गोपाल सिंह के विरूद्ध बलात्कार का केस खत्म करने हेतु पांच लाख रूपये रिश्वत के रूप में मांगे जा रहे है, जिस संबंध में प्रार्थी गोपाल सिंह द्वारा मोबाईल में विपक्षीगणों के साथ हुई वार्तालाप की कॉल रिकार्डिंग को उसके द्वारा न्यायालय की पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कॉल रिकार्डिग की पेनड्राईव को दाखिल किया गया है जोकि भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। घटना के समय विपक्षीगण 1 से 6 क्रमशः खेमेन्द्र गंगवार, हेमलता, पूनम सोरियाल, बलवंत, पप्पू कश्यप व विरेन्द्र पुलिस विभाग में कार्यरत थे तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(ग) के अंतर्गत लोक सेवक की परिभाषा में आते है।

8. **<u>भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, की धारा 17क के अनुसार–</u>**

<u>"17क. लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गयी सिफारिशों या लिए गए विनिश्चय के संबंध में अपराधों की जांच या पूछताछ या अन्वेषण–</u>

(1) कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित के पूर्वानुमोदन के बिना किसी ऐसे अपराध में कोई जांच या पूछताछ या अन्वेषण नहीं करेगा, जिसे इस अधिनियम के अधीन लोक

सेवक द्वारा अभिकथित रूप से कारित किया गया है, जहां ऐसा अभिकथित अपराध लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गयी सिफारिशों पर लिए गए विनिश्चय से संबंधित है–

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, संघ के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था, उस सरकार के ;

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, किसी राज्य के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था, उस सरकार के ;

(ग) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के :

परन्तु ऐसा कोई अनुमोदन किसी व्यक्ति को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए असम्यक् लाभ प्रतिग्रहित करने या प्रतिगृहित करने का प्रयत्न करने के आरोप पर घटनास्थल पर ही गिरफ्तार करने संबंधी मामले में आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि संबद्ध प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपने विनिश्चय की सूचना तीन मास की अवधि के भीतर देगा, जिसे लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से उस प्राधिकारी द्वारा एक मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।''

9 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17(क) पुलिस अधिकारी को किसी जांच, पूछताछ या अन्वेषण के संबंध में प्रदत्त की गयी शक्तियों के संबंध में उल्लेख करती है। वही धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत यह न्यायालय को विशेषाधिकार दिया गया है कि यदि उसे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों एवं प्रपत्रों के आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित करना दर्शित होता है तो वह पुलिस को मुकदमा दर्ज करने हेतु व अन्वेषण करने हेतु निर्देशित कर सकती है व धारा 17क भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दिये गये प्रावधान न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, अपितु पुलिस के लिए बाध्यकारी है। किसी भी आपराधिक मामले में पुलिस की भूमिका प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त ही होती है व इसके उपरान्त ही मामले की जांच व अन्वेषण किया जाता है। यद्यपि भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत किसी भी लोक सेवक के विरूद्ध बिना अनुमति के अपराध की ना तो जांच, ना ही पूछताछ या ना ही अन्वेषण किया जा सकता है और ना ही न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है। इन उपबंधों को अधिनियम में जोड़ने के पीछे विधायानी की मंशा किसी भी लोक सेवक को झूठे मुकदमे से बचाना है तथा किसी भी अपराध की जांच या पूछताछ या अन्वेषण करने हेतु उसे पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। अब न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ इस अधिनियम के अंतर्गत वर्णित किसी धारा का अपराध कारित हुआ हो व सक्षम अधिकारी द्वारा उसके द्वारा की गयी शिकायती/प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हो, जैसाकि इस मामले में हुआ है, तो वह व्यक्ति ऐसी स्थिति में क्या करेगा? न्याय की यह मंशा नहीं है कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को उसके साथ घटित घटना का उपचार किये बिना छोड़ा जाए (No one can be left remediless)।

10. इस संदर्भ में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्याय निर्णयन "Dr. Subramanian Swamy Vs Dr. Manmohan Singh and another 2012 (1) Supreme 577 (SC)" में यह अवधारित किया गया है कि *''भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में ऐसा कोई प्रावधान इस संबंध में नहीं दिया गया है कि एक लोक सेवक के विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत योजित नहीं की जा सकती है।''* अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्याय दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों व प्रपत्रों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के मत में प्रार्थी द्वारा योजित प्रार्थना पत्र धारा 156(3) द0प्र0सं0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी गोपाल सिंह का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है।

विजिलेंस सेक्टर, देहरादून को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर इस मामले से सम्बन्धित यदि पूर्व में कोई अभियोग पंजीकृत न हो तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अधीन विधिनुसार विपक्षी संख्या 01 ता 06 के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करना सुनिश्चित करे।

(अंजली नौलियाल)
विशेष न्यायाधीश (सर्तकता गढ़वाल परिक्षेत्र)/
सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देहरादून।